(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 01/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/1

बउनवान

श्री महेशचंद्र त्यागी निवासी त्रिवेणीपथ तारानगर ए झोटवाड़ा, वार्ड नं. 29, जयपुर ग्रेटर जिला जयपुर (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 24.01.2025

उक्त ऑनलाईन अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के पत्र क्रमांक–रीडर/डी.एम./24/1352 दिनांक 31.12.2024 से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.09.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम आमापुरा पटवार हल्का कलमंडा तहसील बारां के अंतिम चौसाला आधार संवत् 2072–2075 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी काश्तकार का नाम जगन्नाथदास उर्फ ठाड़ेश्वर बाबा बारां हिस्सा पूर्ण उपवन बारां के खसरा संख्या 199/647,201,202,205, 899/201 एवं 900/202 जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 0.03, 0.25, 5.62,0.33,0.05 एवं 0.03 कुल छः खसरे जिनका कुल क्षेत्रफल 6.31 हेक्टेयर है, का नामांतरण महंत रामप्यारेदास के स्थान पर जगन्नाथ दास उर्फ ठाडेस्वर बाबा के नाम किस आधार पर खोला गया था, उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति एवं खसरा संख्या 199/647,201,202,205, 899/201 एवं 900/202 जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 0.03, 0.25, 5.62,0.33,0.05 एवं 0.03 कुल छः खसरे जिनका कुल क्षेत्रफल 6.31 हेक्टेयर है, इनकी भी नवीनतम खसरा गिरदावरी एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा ऑनलाईन प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्ध (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां के [illegible] पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 02.01.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां को जरिये सम्मन क्रमांक 02–03 दिनांक 02.01.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 02–03 दि. 02.01.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां द्वारा पत्र क्रमांक/भू0अ0/2025/217–218 दिनांक 13.01.2025 से बिंदुवार जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार हैः–

1. ग्राम आमापुरा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072–75 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी अनुसार खाता संख्या 66 खसरा नंबर 199/647 रकबा 0.03, खसरा नं. 201 रकबा 0.25 है., खसरा नं. 202 रकबा 5.62 हे., 205/0.33, खसरा नं. 899/201 रकबा 0.05 है., खसरा नं. 900/202 रकबा 0.03 है. कुल किता 6 रकबा 6.31 है. खातेदार जगन्नाथदास उर्फ ठाडेश्वर बाबा बारां हिस्सा पूर्ण उपवन बारां के नाम दर्ज है।
2. उक्त भूमि सेटलमेंट जमाबंदी (2038–57) अनुसार जगन्नाथदास उर्फ ठाडेश्वर बाबा बारां के नाम दर्ज थी जो वर्तमान तक यथावत् है।
3. सेटलमेंट से पूर्व का रिकार्ड देखा गया जिसमे जमाबंदी संवत् 2032–2035 में उक्त भूमि रामप्यारेदास चेला मेहंत भगतदास बैरागी सा. बारां के नाम दर्ज थी।
4. प्रार्थी को पुराने रिकार्ड की प्रतिलिपि की आवश्यकता हो तो निर्धारित शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार जिला भू–अभिलेखागार से प्राप्त कर सकता है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं तहसीलदार, बारां से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के क्रमांक/भू0अ0/2025/217–218 दिनांक 13.01.2025 से सूचित कर दिया गया है, जिसकी एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बारां एवं अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **24.01.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:25 IST
Reason: SelfAttested